

हरियाणा में नजी क्षेत्र के रोज़गार में आरक्षण के संबंध में केंद्र को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र से उत्तर मांगा, जिसमें राज्य के नविसयियों को नजी क्षेत्र में रोज़गार में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को 'असंवैधानिक' घोषित किया गया था।

मुख्य बंदि:

- उच्च न्यायालय ने 15 जनवरी, 2022 से लागू हुए [हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोज़गार अधिनियम, 2020](#) के खिलाफ कई याचिकाएँ स्वीकार की थीं और राज्य के उम्मीदवारों को नजी क्षेत्र में रोज़गार में 75% आरक्षण प्रदान किया था।
 - इसमें अधिकतम सकल मासिक वेतन या 30,000 रुपए तक की मज़दूरी देने वाले रोज़गार शामिल थे।
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की राय थी कि इस मुद्दे पर कानून बनाना तथा नजी नयिक्तताओं को 30,000 रुपए प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी के लिये खुले बाज़ार से भरती करने से रोकना राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
- उच्च न्यायालय ने देखा था कि हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं होने वाले नागरिकों के एक समूह को द्वितीयक दर्जा प्रदान करके और उनकी आजीविका के मौलिक अधिकारों में कटौती करके संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का उल्लंघन किया गया है।
- इसमें यह भी कहा गया था कि संवैधानिक तहत नागरिकों के बीच उनके जन्म स्थान और नविस स्थान के आधार पर रोज़गार के मामलों में भेदभाव पर रोक है।

नोट:

- आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड सहित अन्य राज्यों में भी अधविसयियों के लिये रोज़गार आरक्षण वधियक या कानून की घोषणा की गई है।
- वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश वधानसभा में पारित रोज़गार कोटा वधियक में स्थानीय लोगों के लिये तीन-चौथाई नजी पद भी आरक्षित किये गए।

अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोज़गार में अवसर की समानता)

- भारतीय संवैधानिक अनुच्छेद 16 किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में रोज़गार या नयिक्तता के मामलों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता प्रदान करता है।
- किसी भी पछिड़े वर्ग के लिये नयिक्तताओं या पदों में आरक्षण के प्रावधान हैं जिनका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।